प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3319/2007

याचिकाकर्ता - डी.एस. जैन, पिता स्वर्गीय श्री जी.एल. जैन, आयु लगभग 65 वर्ष, अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय (सीजीआईआर अधिनियम) तथा पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (औद्योगिक विवाद अधिनियम), रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, श्रम विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थितः

याचिकाकर्ता की ओर से श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री देवेंद्र पटेल, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री यशवंत सिंह ठाकुर, शासकीय अधिवक्ता।

....

आदेश

(दिनांक 18 जून, 2007 को पारित))

1. याचिकाकर्ता औद्योगिक न्यायालय (सीजीआईआर अधिनियम) के अध्यक्ष तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण (औद्योगिक विवाद अधिनियम), रायपुर के पीठासीन अधिकारी

हैं। याचिकाकर्ता ने यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की है, इस उचित आशंका के आधार पर कि उनके विरुद्ध औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद से वसूली/पद से हटाने का आदेश जारी किया जा सकता है। उनकी इस आशंका का आधार अनुलग्नक पी./8 एवं पी/9 के रूप में संलग्न समाचार पत्रों का प्रतिवेदन हैं।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, श्री देवेंद्र पटेल, अधिवक्ता के साथ, तर्क प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक सदस्य से यह जानकारी प्राप्त हुई कि उनके नियुक्ति की वैधता के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया था, जिसमें शासन ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति विधि के अनुरूप है। तथापि, यह भी कहा गया कि उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर कुछ जांच लंबित हैं। याचिकाकर्ता को आगे यह भी आशंका है, जो "दैनिक भास्कर", रायपुर में दिनांक 03.10.2006 को प्रकाशित समाचार (अनुलग्नक पी./8) तथा "जनसत्ता", रायपुर में दिनांक 28.05.2007 को प्रकाशित समाचार प्रतिवेदन के आधार पर है, कि सरकार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है, जिससे उन्हें असहजता हो रही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि न तो राज्य शासन द्वारा याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी किया गया है और न ही उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है। तथापि, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता को यह युक्तिसंगत आशंका है कि उसके विरुद्ध वर्तमान पद से वसूली/हटाने का कोई आदेश पारित किया जा सकता है। अन्य विवाद्यकों पर याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की राज्य शासन की क्षमता श्रम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करती है, इस स्तर पर विचारणीय नहीं है, क्योंकि न तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई है और न ही कोई कार्यवाही की गई है। याचिकाकर्ता के पास यह दर्शाने हेतु कोई ठोस सामग्री नहीं है कि कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, सिवाय इसके कि एक विधायक द्वारा कथित रूप से कुछ जानकारी दी गई है

तथा कुछ समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं, जिनकी प्रामाणिकता भी स्थापित नहीं है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के निर्णय एआईआर 1954 एससी 403 (हिम्मतलाल हरिलाल मेहता बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य) का भी अवलंब लिया है, यह स्थापित करने के लिए कि केवल आशंका के आधार पर भी यह याचिका संधारणीय है। उक्त प्रकरण में सी.पी. एवं बरार विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत वैकल्पिक उपाय की वैधता का प्रश्न विचाराधीन था, अतः वह इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने के.के. कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य (एआईआर 1959 एससी 725) के मामले में मौलिक अधिकारों के वास्तविक या संभावित उल्लंघन पर विचार करते हुए यह कहा कि यदि किसी मौलिक अधिकार के अस्तित्व और उसके वास्तविक या संभावित उल्लंघन का प्रथम दृष्टया आरोप याचिका में स्थापित किया गया हो, तो केवल पर्याप्त वैकल्पिक विधिक उपाय की उपलब्धता मात्र, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका को खारिज करने का उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं हो सकती।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. तत्पश्चात, माननीय उच्चतम न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने चन्द्र शेखर सिंह भोई बनाम उड़ीसा राज्य [1972(1) एससीसी 63] के प्रकरण में, जब याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे अधिनियम अथवा प्रावधान की वैधता के संबंध में आशंका व्यक्त की गई थी, जो अभी अधिसूचित नहीं हुआ था, निम्न प्रकार से अभिमत व्यक्त किया—

> "…..हमारे मत में सामान्यतः न्यायालयों को किसी अधिनियम या उसके किसी प्रावधान की वैधता के प्रश्न पर तब तक विचार नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसे लागू नहीं किया गया हो। उस समय तक ऐसा प्रश्न मात्र शैक्षणिक होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे विधिक प्रावधान से पीड़ित नहीं हो सकता, जो निष्क्रिय है और जिसे लागू नहीं किया जा सकता….."

7. चानन सिंह बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पंजाब एवं अन्य [(1976) 3 एससीसी 361] के प्रकरण में, जब याचिकाकर्ता द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई थी कि लंबित विभागीय कार्यवाही में उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, तब इस प्रकार कहा गया—

> "5. अपीलार्थी को अनुतोष प्रदान करने के मार्ग में अन्य बाधाओं का भी उच्च न्यायालय तथा हमारे समक्ष उल्लेख किया गया था, किन्तु हम उन पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि संक्षेप में यही कारण पर्याप्त है कि रिट याचिका समयपूर्व थी। अभी तक कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। कार्यवाही का परिणाम क्या होगा, यह केवल अनुमान के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि अपीलकर्ता को दंडित किया जाता है, तो उसके लिए यह निस्संदेह खुला है कि वह संबंधित नियमों के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करे अथवा अन्य विधिक उपाय अपनाए, जिनकी उसे सलाह दी जाए..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "6. हम इस बात से संतुष्ट हैं कि वर्तमान परिस्थिति में उत्पन्न समस्या तक ही सीमित रहना पर्याप्त है; अतः हमें उन प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो हमारे इस दृष्टिकोण के प्रकाश में उत्पन्न ही नहीं होते, कि वर्तमान में कोई दंडात्मक कार्रवाई से संबंधित शिकायत नहीं है जिसे न्यायालय में उठाया जा सके...।"

8. आगे, श्रीमती कुंडा एस. कदम बनाम डॉ. के.के. सोमन एवं अन्य [(1980) 2 एससीसी 355] के प्रकरण में, जहाँ विधि का प्रश्न यह था कि क्या लोक सेवा आयोग की अनुशंसा, बिना नगरपालिका द्वारा कोई विधिवत आदेश पारित किए, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका में चुनौती दी जा सकती है, यह अभिमत व्यक्त किया गया कि मामले के गुण-दोष पर विचार करने का समय अभी नहीं आया है तथा रिट याचिका स्वयं समयपूर्व है, क्योंकि यह नगरपालिका पर निर्भर है कि वह अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे।

9. विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार न्यायालय को मात्र ऐसी आशंका पर निर्णय नहीं करना चाहिए, जिस पर उचित नोटिस या विधिवत आदेश के बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः इस न्यायालय को इस मामले में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रिट याचिका समयपूर्व है। वर्तमान मामला भी इसी प्रकार का है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में असफल रहा है कि कोई मौलिक अधिकार अस्तित्व में है तथा उसका वास्तविक या संभावित उल्लंघन हुआ है।

10. अतः यह याचिका समयपूर्व होने के कारण संक्षेप में खारिज की जाती है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**